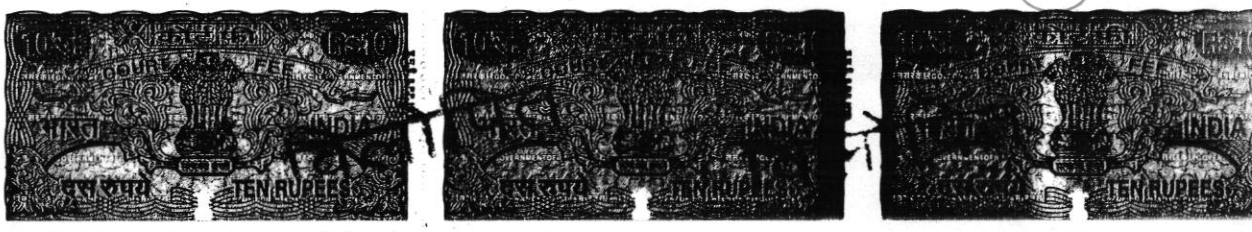

समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर,(म0प्र0)

1.महेन्द्र खटीक तनय स्व0श्री जीवनलाल खटीक
निवासी सूबेदार वार्ड, सागर(म0प्र0)
2.महेश तनय श्री गिरधारीलाल साहू
निवासी भगतसिंह वार्ड, सागर(म0प्र0)
3.कमलेश तनय स्व0श्री श्याम बिहारी साहू
निवासी जवाहरगंज वार्ड, सागर
जिला–सागर(म0प्र0) .....आवेदकगण

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा–कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर (म0प्र0) .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 56भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 403 बी/103वर्ष 2017–18 में पारित आदेश दिनाँक 30.01.2018 के परिपालन में यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर के प्र.क्र.08/ब/103/वर्ष 2016–17 आदेश दिनॉक 28.06.2017 के विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मान्नीय न्यायालय श्री एच0के0रघुवंशी, सप्तम् व्यवहार न्यायधीश वर्ग–1 जिला सागर के पत्र क्रमांक 40 दिनाँक 22.12.2016 द्वारा न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक 79ए/16ई.दी. में प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय अनुबंध पत्र दिनॉक 28.04.2015 जो कि रूपये 1000/– के मुद्रांक पर निष्पादित है, भारतीय स्पाम्प अधिनियम 1899 की धारा 38(2) के तहत स्टाम्पित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भेजा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये बाजार मूल्य 14190000/– रूपये पर 5% की दर से मुद्रांक शुल्क रू0709500/–रूपये एवं उस पर 3542500/–रूपये लगाकर कुल 4251000/–रूपये अधिरोपित किये जाने का विवादित आदेश दिनाँक 28.06.2017 पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 47–क(4) के तहत प्रस्तुत की गयी थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील क्षेत्राधिकार में न होने से समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/स्टाम्प अधि./2018/1091 महेन्द्र विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 05-09-2018 को आवेदक महेन्द्र के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को सुना गया । शासकीय अभिभाषक श्री योगेश पाराशर को सुना गया । 2. मेरे द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का प्रकरण क्रमांक 08/ब/103/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 एवं इकरारनामा दिनांक 29-04-2015 का अवलोकन किया गया । उक्त इकरारनामा के अनुसार ग्राम अमावली तहसील सागर की भूमियों का कब्जा भी इकरार ग्रहिता को राशि रूपया 20 लाख लेकर सौंप दिया था, जिससे स्पष्ट है कि भूमि का मुद्रांक शुल्क अदा किये बिना कब्जा सौंप दिया था जिससे स्पष्ट है कि उक्त विलेख कब्जा सहित इकरारनामा की श्रेणी में आता है, और उस पर मुद्रांक शुल्क हस्तांतरण पत्र की भांति मुद्रांक शुल्क सारणी 1(क) के 5 (ड.) (1) के अनुसार प्रमारणीय होता है । 3. अत: न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश दिनांक 28-06-2017 स्थिर(Maintain) रखा जाता है । 4. उक्त आदेश की एक प्रति कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर को भी भेजी जाये । आवेदक अभिभाषक को भी नोट कराया जाये । सदस्य 17.9.18	